

## राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश को दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से किया सम्मानित

### चर्चा में क्यों?

30 सितंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के वज्रान भवन में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया।

### प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ऊषा ठाकुर ने 'मोस्ट फिलिम फ्रेंडली स्टेट' और प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने नॉन फीचर फिलिम में बेस्ट एथनोग्राफिक फिलिम श्रेणी में 'मांदल के बोल' के लिये रजत कमल पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। साथ ही, फिलिम 'मांदल के बोल' के निर्देशक राजेंद्र जांगले को भी रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 'मांदल के बोल' को नॉन फीचर फिलिम में बेस्ट एथनोग्राफिक फिलिम श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यह फिलिम मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति के जीवन और ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती है। मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम द्वारा निर्मित और राजेंद्र जांगले द्वारा निर्देशित 27 मिनट की फिलिम में कमेंट्री और संगीत है। फिलिम के दृश्यों के साथ सुमधुर संगीत फिलिम को बहुत खास बनाता है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की थी।
- प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की फिलिम नीति में फिलिमकारों को अनुदान, लोक सेवा गारंटी में समय-सीमा में अनुमति प्रदाय, सगिल वड्डो सस्टिम आदि आकर्षक पहलुओं को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश अपने नैसर्गिक सौंदर्य और आकर्षक लोकेशन से फिलिमकारों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है।
- मोस्ट फिलिम फ्रेंडली स्टेट अवॉर्ड पाने वाले मध्य प्रदेश में अब तक 350 से ज्यादा फिलिम, सीरियल, वेब सीरीज़ सहित अन्य परियोजनाओं की शूटिंग हो चुकी है। वर्तमान में 7 फिलिम प्रोजेक्ट पचि, तवारी, चंदेरी हैंडलूम द वोवेन मोटफिस, महल, द मास्टर स्क्वॉड, करतम भुगतम, पराक्रम की शूटिंग चल रही है।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, देश का एकमात्र राज्य है, जिसने परियोजनाओं की अनुमति को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है। अधिनियम में 15 कामकाजी दिवसों में फिलिम शूटिंग की अनुमति का प्रावधान है। साथ ही यह पहला ऐसा राज्य है, जिसने फिलिम नीति में दिये जाने वाले अनुदान में वेब सीरीज़, ओटीटी ओरजिनल कंटेंट, टीवी सीरियल एवं डॉक्यूमेंट्री को शामिल किया है।
- प्रदेश में सभी फिलिमांकन अनुमतियों के लिये सगिल वड्डो क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध है। फिलिम पर्यटन नीति को ज़िला स्तर पर क्रियान्वित करने के लिये प्रत्येक ज़िले में एडीएम स्तर के अधिकारी को फिलिमांकन अनुमति हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- मध्य प्रदेश को थिएटर हब कहा जाता है। यहाँ वरिष्ठ और कनिष्ठ, दोनों ही कलाकारों की उपलब्धता है। फिलिम नीति के अंतर्गत राज्य के स्थानीय कलाकारों के लिये अतिरिक्त वित्तीय अनुदान सहित फिलिम क्रू का पर्यटन विभाग के होटल एवं रिसॉर्ट में ठहरने पर छूट का प्रावधान है। साथ ही, राज्य में फिलिम उद्योग के विकास के लिये फिलिम सट्टी, फिलिम स्टूडियो, कौशल विकास केंद्र आदि स्थापित करने, नज़ी नविश को प्रोत्साहन एवं आकर्षित भूमि इत्यादि का प्रावधान है।